>

Title: Need to promote Urdu language in the country and appoint adequate number of Urdu teachers in Madarsas.

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): अध्यक्ष महोदया, उर्दू सिर्फ एक भाषा नहीं बल्कि एक सभ्यता एवं संस्कृति की जननी है। उर्दू का चलन जिस तेजी से खत्म हो रहा है, उससे एक सभ्यता के मिट जाने का खतरा उत्पन्न हो गया है। इस सुरीली और मोहब्बत वाली भाषा को बचाने के लिए नयी पीढ़ी में उर्दू पढ़ने लिखने की आदत डालनी होगी। इस भाषा की हिफाज़त की जिम्मेदारी उर्दू जानने वालों पर ही हैं। मदरसा एवं उर्दू शिक्षकों को आगे आकर जन आंदोलन शुरु करना होगा। सरकार को चाहिए कि वह अन्य भाषाओं की तरह उर्दू के प्रचार, प्रसार एवं विकास पर ध्यान दे। हिन्दी और उर्दू दोनों सगी बहनें हैं। हमारे बिहार राज्य में उर्दू को कार्यालय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। बाकायदा सरकार ने हर कार्यालय में उर्दू लिपिकों की भर्ती की है। उतना ही नहीं बल्कि उर्दू शिक्षकों की भी भर्ती की है। उर्दू में संचिकाएं भी माननीय मंत्री लोगों के यहां जाती हैं और उन पर हस्ताक्षर भी होते हैं। मैं इस सदन के माध्यम से माननीय गृह मंत्री, भारत सरकार से मांग करता हूं कि बिहार की तरह अन्य राज्यों में भी इसकी शुरुआत कराएं। हमारे माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने इसी सदन में कहा था इंक्लाब जिंदाबाद बोलने से जो जज्बा पैदा होता है, वह क्रांति जिन्दाबाद बोलने से नहीं होता। हमारे नेता भी उर्दू भाषा के पक्षधर हैं एवं उन्होंने बिहार के विद्यालयों में उर्दू शिक्षकों की भी भर्ती की है। धन्यवाद।